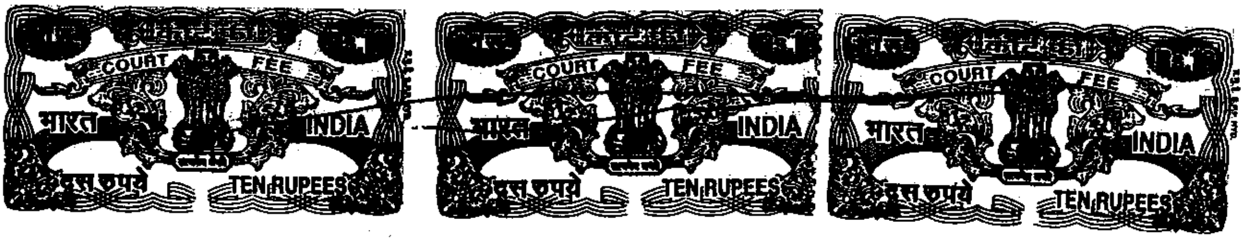

न्यायालयः मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017/पी.बी.आर./आर /

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/3288

1. देवीसिंह
2. बेताल सिंह
3. मेहताब सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री कप्तान. सिंह, निवासीगण–ग्राम तिलैंथा जागीर, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) ———प्रार्थीगण

बनाम

कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ प्रसादअग्रवाल, निवासी–हाल पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पीछे, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर

———प्रतिप्रार्थी

13-9-17

13-9-17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

C/- 03/10/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06/09/2017 पारित द्वारा श्री महीप तेजस्वीअनुविभागीय अधिकारी झांसी रोड, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–73/2016–17 अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वा0/भू.रा./2017/3288 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6–9–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने जाकर प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करते हुये स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	